9-423/012

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612-2219545 (का0)
फैक्स न0-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

11-06-2013

—: आदेश :—

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-423/2012 में आवेदक **श्री रविशंकर कुमार**, पिता-श्री बिन्देश्वर प्रसाद केशरी, सा0-गंगाचक मालिकाना, पो0+थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-11.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे Stup Consultant Pvt. Ltd., New Delhi में Civil Engineer हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक-12/गो0, दिनांक-03.01.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक, मसौढ़ी द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर अनुशंसा के साथ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Stup Consultant Pvt. Ltd., New Delhi में Civil Engineer हैं। आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अनुशंसित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री रविशंकर कुमार, पिता-श्री बिन्देश्वर प्रसाद केशरी, सा0-गंगाचक मालिकाना, पो0+थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य

(9) 9-423/012

क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।